न्यायालय उप जिलाधिकारी, सदर, लखनऊ।

वाद सं0 52/07-08
धारा 143 ज0वि0अ0 नि0अधि0
ग्राम बहादुरपुर परगना बिजनौर
तहसील व जिला लखनऊ
भारतीय अल्पसंख्यक शिक्षा
प्रसार समिति बनाम सरकार

निर्णय

प्रस्तुत कार्यवाही श्री सैय्यद अशगर अब्बास नकवी पुत्र स्व0 सैय्यद हसन अब्बास नकवी, सचिव/प्रबन्धक भारतीय अल्पसंख्यक शिक्षा प्रसार समिति, कार्यालय आशा अपार्टमेन्ट फेस-1, 19 राममोहन राय मार्ग लखनऊ, के प्रार्थना-पत्र दिनांक 24-10-07 पर प्रारम्भ हुई। जिसमें कहा गया कि प्रार्थी सैय्यद अशगर अब्बास नकवी ने भूमि खसरा संख्या 225 रकबा 0-966 हे0 स्थित ग्राम बहादुरपुर परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ, को [illegible] सिंह से क्रय किया था। प्रार्थी संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। उक्त भूमि का उपयोग शिक्षा संस्थान के लिये किया जाना है अतः भूमि क्रय करने के बाद से उस पर निर्माण कार्य चल रहा है। उक्त भूमि को कृषि योग्य भूमि की श्रेणी से बदल आवासीय/व्यवसायिक श्रेणी के आदेश करने की कृपा करें।

उक्त प्रार्थना-पत्र पर तहसीलदार सदर, लखनऊ, से आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार सदर, लखनऊ, ने अपनी आख्या दिनांक 22-11-07 में कहा है कि भूमि गाटा सं0 225 रकबा 0-966 हे0, जो खतौनी के खाता सं0 123 पर भारतीय अल्प संख्यक शिक्षा प्रसार समिति रजि0सं0 1219/07-08 कार्यालय 104 आशा अपार्टमेन्ट फेस-1, राममोहन राय मार्ग, लखनऊ, द्वारा सचिव/प्रबन्धक सैय्यद अशगर अब्बास नकवी पुत्र स्व0 सैय्यद हसन नकवी, के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। जिन्होंने [illegible] सिंह से क्रय की थी। वर्तमान समय में गाटा सं0 225 रकबा 0-966 हे0 भूमि पर चारों तरफ बाउन्ड्री वाल लगभग 5 फिट [illegible] निर्माण कार्य चल रहा है। उक्त भूमि शिक्षा संस्थान के प्रयोग [illegible] लाया गया है। वर्तमान समय में कृषि कार्य नहीं किया [illegible] धारा 143 ज0वि0अ0नि0अधि0 के अन्तर्गत

----2

[illegible] किये जाने की संस्तुति की गयी।

नियमानुसार विपक्षी उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी की गयी। विपक्षी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी।

वादी ने अपने पक्ष के समर्थन में [illegible] 41 तथा 45 की प्रमाणित प्रतियाँ दाखिल की तथा अपना शपथ-पत्र भी दाखिल किया।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का भलीभांति परिशीलन किया गया। तहसीलदार सदर, लखनऊ, की आख्या के अवलोकनोपरान्त स्पष्ट है कि भूमि गाटा सं० 225 रकबा 0-966 हे० स्थित ग्राम बहादुरपुर परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ, को कृषि प्रयोजन से भिन्न अकृषिक प्रयोजन किये जाने में कोई वैधानिक बाधा नहीं है।

आदेश

अतः भूमि गाटा सं० 225 रकबा 0-966 हे० स्थित ग्राम बहादुरपुर परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ, को कृषि प्रयोजन से भिन्न (अकृषिक) घोषित किया जाता है। राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद हेतु आदेश की एक प्रति तहसीलदार सदर, लख० को तथा पंजीयन हेतु उप-निबन्धक, लखनऊ, को एक प्रति भेजी जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

26/12/07

([illegible])
अपर उपजिलाधिकारी, सदर,
लखनऊ

[illegible] 26/12/07
[illegible] 26/12/07
[illegible] 26/12/07
[illegible] 26/12/07

26/12/07

26/12/07